दस रुपये TEN RUPEES INDIA दस रुपये TEN RUPEES

454

विदिशा

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प कोर्ट, भोपाल (म.प्र.)

==================================================

नि/निगरानी/विदिशा/भू-रा/2017/2541        नवीन प्र./2541/17

श्री अनिल शुक्ला अभिभाषक 26-3-17 को कैम्प में प्रस्तुत किया।

श्रीमति अंजली शुक्ला पत्नी अनिल शुक्ला

पुत्री स्वर्गीय महेश कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष,

निवासी- मालवीयगंज, इटारसी, तहसील इटारसी,

जिला - होशंगाबाद (म.प्र.)                                        ... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

कृष्ण दीक्षित पुत्र रमाकांत दीक्षित, उम्र 36 वर्ष

निवासी- संगम नगर, इन्दौर (म.प्र.)                                 ... उत्तरवादीगण

## पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, जिला विदिशा (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 141/बी-121/16-17, जिसमें पक्षकार अंजली शुक्ला वि. म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 03.07.2017 से क्षुब्ध एवं दुःखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है

### -: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम अण्ड्याखुर्द, प.ह.नं. 46, तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.) स्थित खसरा क्रमांक 257/2 रकबा 6.422 हे0 कृषि भूमि का मालिक-स्वामी एवं कब्जे है तथा राजस्व रिकार्डों में पुनरीक्षणकर्ता का नाम बतौर मालिक-

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

(454)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2541

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री नितिन पंडित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |